प्रेस विज्ञप्ति

चन्द्रा मौर्य रोड अंडरब्रिज को छोटे वाहनों के आवागमन हेतु खोले जाने के संबंध में।

भिलाई नगर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चन्द्रा मौर्य रोड अंडरब्रिज क्रमांक 358 वार्ड क्रमांक 30 को दिनांक 15.08.2026 से छोटे वाहनों के आवागमन हेतु महापौर नीरज पॉल, मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा एवं जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता के उपस्थिति में खोला गया है।

उक्त अंडरब्रिज में 2.55 मीटर से कम ऊंचाई वाले छोटे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों के प्रवेश से अंडरब्रिज को क्षति एवं दुर्घटना की संभावना को देखते हुए वाहन चालक निर्धारित प्रतिबंध का पालन करें तथा आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।

अंडरब्रिज में अधिकतम गति सीमा 20 किमी/घंटा निर्धारित रहेगी। आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग की अपेक्षा है।